

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- संस्था/चि0अ0/ए0टी/प02/15/297

दिनांक:- 29/04/15

—:: आदेश ::—

निम्नलिखित चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्रशासनिक कारणों से एवं जनहित में तुरंत प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक कार्यव्यवस्था के तहत लगाया जाता है :-

क्रम सं०	नाम व पद	कहां से	कहां को
1	डॉ० दुष्यन्त चौधरी चिकित्सा अधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुन्दनपुर जिला कोटा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भंवरगढ, बारा
2	डॉ० बजरंगलाल रेवार चिकित्सा अधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारायणपुर अलवर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करीरी जयपुर
3	डॉ० प्रमोद सुण्डा चिकित्सा अधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीकर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कासली सीकर
4	डॉ० सुभाष जेदू चिकित्सा अधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, किशनगढबास, अलवर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर के अधीन
5	डॉ० विजय कुमार झाझड़िया चिकित्सा अधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मलसीसर झुन्झुनू	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाखल झुन्झुनू
6	डॉ० प्रमोद	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दालोत प्रातपगढ	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुहागपुरा प्रातपगढ
7	डॉ० अनुशग गौड़ चिकित्सा अधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिग्गी टोंक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छान टोंक
8	डॉ० सुरेन्द्र आबूसरिया वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	आर.आर.सी. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	उप निदेशक, आर.आर.सी. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर
9	डॉ० सुनिल कुमार शर्मा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	उप निदेशक, आर.आर. सी. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	आर.आर.सी. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर
10	डॉ० कपिलराज लटियाल चिकित्सा अधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौखाचंदावता नागौर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेड़तासिटी नागौर

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर


0141- 2225291

[adddirgaz@gmail.com](mailto:adddirgaz@gmail.com)

धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिन्दगी चुनो तम्बाकू नहीं

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक अधिकारी/अधीक्षक, मेडिकल कालेज संबंधित।
5. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), निदेशालय, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन संबंधित।
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित।
8. संबंधित चिकित्सक अपनी उपस्थिति संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक अधिकारी/निदेशक/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, /मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी को देवे तथा सभी संबंधित को निर्देशानुसार लेख है कि पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में भी चिकित्सक को कार्यग्रहण करावे तत्पश्चात अधोहस्ताक्षरकर्ता से मार्गदर्शन मांगे।
9. प्रभावी केन्द्रीय सर्वर रूप, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
10. संबंधित चिकित्सक
11. आदेश /निजी पत्रावली।

  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर